174
प्रति०

30 NOV 2017

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

जयपुर, दिनांक :-

कमांक :- प.10(20)आयु./2015

-:: आदेश ::-

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10271/2013 डॉ. महेश
प्रकाश शर्मा बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 04.04.2016 को पारित निर्णय की पालना हेतु दायर
अवमानना याचिका संख्या 627/2016 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 02.11.2017 को
प्रदत्त निर्देश की पालना में राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा नियम 1973
(संशोधन 2013) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 4/2013
के अन्तर्गत राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के पत्रांक 8273 दिनांक 24.11.2017 से प्राप्त सूचना
अनुसार डॉ. महेश प्रकाश शर्मा को अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाने के फलस्वरूप पात्र पाए
जाने पर निम्नांकित शर्तों पर आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर Level in Pay Matrix (L-14) में
कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की प्रोबेशन काल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी)के रूप
में मासिक नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेमुनरेशन) रू 39300/- (अक्षरे रूपये उन्तालिस हजार तीन सौ
मात्र)पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	रजि.नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग	प्राप्तांक
1.	9126350/ 9413973	MAHESH PRAKESH SHARMA	CHAGAN LAL	25-11-1968	MALE	GEN	63.39

1. उक्त नियुक्ति विभाग द्वारा राजस्थान राज्य बनाम राघवेन्द्र शाण्डिल्य व अन्य प्रकरण में माननीय
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. जिसकी डायरी नं. 28320/2017 में होने वाले
तथा WRW संख्या 276/2016(अन्तर्गत डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10271/2013) में पारित
निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर किये जाने की स्थिति में
पारित कोई भी आदेश/निर्णय के अध्यधीन (Subject to any order/decision) होगी।
2. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को नियमानुसार पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट,
चरित्र प्रमाण पत्र, संतान संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान निषेध प्रमाण पत्र
तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा।
3. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी अपने दस्तावेजों का सत्यापन निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर से
करवाने के उपरान्त दिनांक 15.12.2017 तक निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर में कार्यग्रहण कर
सकेंगे।
4. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा उक्त डॉ. महेश प्रकाश शर्मा के समस्त दस्तावेज यथा
जन्मतिथि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, व अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन करने के पश्चात
पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएगें।
5. परीवीक्षाकाल में यदि राज्य सरकार की राय में उपर्युक्त चिकित्साधिकारी का कार्य या आचरण
संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो राज्य सरकार इन्हें सेवा से विमुक्त कर सकेगी।
6. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वार
प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी।
7. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7291/15 जसप्री
कौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा याचिका संख्या 10398/13 अजय फूलवारिया व अन
बनाम राजस्थान राज्य तथा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 3152/2011 अशोक कुमार एवं इस
संलग्न अन्य 50 याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश/अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिना
13.03.2006 एवं एफ.14(1)एफ.डी./रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुशरण में नि

पारिश्रामिक दिया जायगा, यह पारिश्रामिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25685/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगी।

9. अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण के समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर त्याग पत्र दे देता है या अन्यत्र कोई नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे सदत्त की गई परिलब्धियों की दोगुणा राशि राज्य सरकार को वापस जमा करानी होगी। अभ्यर्थी इस बाबत बंधक पत्र निष्पादित करेगा।

आज्ञा से,

(कुन्दन कुमार माथुर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश में प्रदत्त निदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।
7. संबंधित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
8- रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

कमांकः प.1/प्रति–1/चिकि0 नियु0/2017/21118-20 दिनांकः 01.12.2017

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग,राजस्थान–जयपुर
2. संबंधित चिकित्साधिकारी श्री महेश प्रकाश शर्मा पुत्र श्री छगनलाल
3. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय,अजमेर को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।
4. सामान्य पत्रावली

1/12/17
(प्रकाश वीधानी)
अति0प्रशा0अधिकारी